

राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1(ए)49/पार्ट-6/संस्था/बीमा/2020/

दिनांक : 30-09-2020

आदेश 313

कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2013 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक-अप किये गये चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक:प. 1(2)प्र0सु0/अनु-3/2020 जयपुर, दिनांक 18.06.2020 के द्वारा विभाग को आवंटित किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थाई आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प0 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer - Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर निम्नलिखित शर्तों पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है-

क्रम संख्या	मेरिट क्रमांक	रोल न.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पिता का नाम श्री	जन्म दिनांक	श्रेणी	पदस्थापन स्थल, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
1.	18041	2394650	VIJAY SIROHI	KAILASH CHAND	02-10-1997	SC	BIKANER
2.	18170	1470688	KAILASH CHAND	PAPPU RAM	08-06-1994	SC	ALWAR
3.	18294	1899233	NANDLAL	MOOLA RAM	14-09-1997	SC	BIKANER
4.	18403	2400682	VIJAY GHARU	OM PRAKASH GHARU	05-08-1985	SC	BIKANER
5.	18552	2185110	SUMIT KUMAR	BHONRI LAL	28-12-1994	SC	DAUSA
6.	18635	2163652	SUNIL KUMAR	NATHU RAM	08-07-1989	SC	DAUSA
7.	18734	1823403	PRADEEP KUMAR KOLI	BABU LAL KOLI	18-05-1992	SC	DAUSA
8.	18862	1411485	DINESH BALAI	RAMESHWAR BALAI	22-07-1996	SC	CHITTORGARH
9.	18967	2032308	PRAKASH CHAND VERMA	KALYAN SAHAY VERMA	24-08-1990	SC	BHARATPUR
10.	21426	1574527	LOKESH MEVAL	CHOTHMAL MEVAL	01-04-2000	ST	UDAIPUR CITY
11.	21950	2063372	RAKESH MEENA	GOPAL LAL MEENA	16-02-1990	ST	UDAIPUR CITY
12.	21968	1567149	HARI NARAYAN MEENA	GOPAL LAL MEENA	03-08-1997	ST	KARALI
13.	22017	1364212	CHAIN SINGH MEENA	MAN SINGH MEENA	08-07-1985	ST	BHARATPUR
14.	22101	2117825	RAJESH KUMAR MEENA	SHANKAR LAL MEENA	10-01-1997	ST	BHARATPUR



15.	22325	2126029	ROHITASH KUMAR MEENA	DEVI LAL MEENA	02-01-1998	ST	SAWAI MADHOPUR
16.	22428	1366983	BRAJESH MEENA	RAJARAM MEENA	27-06-1990	ST	KARAULI
17.	22485	1639497	HEMRAJ MEENA	NANAG RAM MEENA	15-11-1998	ST	SAWAI MADHOPUR
18.	22556	1509535	JITENDRA MEENA	RAMESHWER MEENA	11-11-1994	ST	DHOLPUR
19.	22576	1512910	KRISHAN KUMAR MEENA	GHANSHYAM DAS MEENA	06-10-1991	ST	UDAIPUR CITY
20.	22596	1348330	DILIP KUMAR MEENA	LAKHAN LAL MEENA	05-07-1990	ST	BARAN
21.	22651	1455575	HIMMAT SINGH MEENA	MALOOK MEENA	13-09-1996	ST	JODHPUR CITY
22.	22673	1507717	LOKESH KUMAR MEENA	GHASHI LAL MEENA	09-08-1996	ST	JHALAWAR
23.	22779	1479859	MANOJ KUMAR MEENA	RAM SWAROOP MEENA	06-05-1996	ST	JODHPUR CITY
24.	22799	1606906	MANISH KUMAR MEENA	ANAND RAM MEENA	15-07-1996	ST	CHURU
25.	22802	1655124	LALTESH KUMAR MEENA	CHHOTE LAL MEENA	01-05-1991	ST	JAISALMER
26.	22873	1939417	PUKHARAJ MEENA	RAMKRIPAL MEENA	08-06-1996	ST	JAISALMER
27.	22903	1878660	RAMKESH MEENA	MADAN LAL MEENA	12-10-1995	ST	BARMER
28.	22928	1339088	DEEPAK MEENA	RAJESH KUMAR MEENA	07-08-1999	ST	BARMER
29.	22942	1572922	MAHESH KUMAR MEENA	MANGAL RAM MEENA	05-05-1990	ST	BARMER

उक्त नियुक्ति वित्त (बीमा) विभाग के पत्रांक प.4(1) वित्त/राजस्व/2004 लूज-1 जयपुर, दिनांक 30.09.2020 के क्रम में वित्त(व्यय-3) विभाग के बार कोड संख्या 322000290 दिनांक 29.09.2020 द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट-निम्नांकित अभ्यर्थियों के द्वारा दस्तावेजों की पूर्ति कराने के पश्चात् ही संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यग्रहण (Duty Joining) करवाया जावेगा:-


1. क्रम संख्या 09 पर अंकित श्री प्रकाश चन्द वर्मा द्वारा RSCIT मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. क्रम संख्या 13 पर अंकित श्री चैन सिंह मीना द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी (यथा PMO) द्वारा जारी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् कार्यग्रहण करवाया जावे।
3. क्रम संख्या 15 पर अंकित श्री रोहिताश कुमार मीना द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी (यथा PMO) द्वारा जारी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् कार्यग्रहण करवाया जावे।
4. क्रम संख्या 19 पर अंकित श्री कृष्ण कुमार मीना द्वारा पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण-पत्र एवं पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् कार्यग्रहण करवाया जावे।



उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है :-

1. राज्य में कोरोना वायरस (covid-19) को महामारी घोषित किये जाने राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर ऊपर वर्णित तालिका में अपने नाम के सामने अंकित जिला कार्यालय में पद कार्यभार ग्रहण करना होगा। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को लिखित सूचित कर दें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. क्रम संख्या 02,06,07,12,13,14,15,16,17,20,21,23,24,25 एवं 26 पर अंकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया गया है।
3. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परंतु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
4. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6(6)एफडी/रुल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ 1(2)एफडी/रुल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ 13(1)एफडी/रुल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा(संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (fix remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
5. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश सं. 13(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
6. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प0 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्यक्षीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
7. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य (Adverse reports) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रुपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्र सत्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना कूटरचित एवं अप्रमाणिक पाये जाने पर नियुक्तकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी एवं प्रार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
9. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
10. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
11. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।

12. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड— द्वितीय(कनिष्ठ सहायक) के पद पर पे—मेट्रिक्स लेवल संख्या – 5 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
13. चयनित परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
16. अभ्यर्थी कार्यग्रहण करते समय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, परिवार का विवरण, घोषणा पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने-देने का शपथ पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र / घोषणा पत्र एवं अन्य शपथ पत्रों का मूल रूप (Original Documents) का मिलान एवं सत्यापन करवाने के पश्चात् ही कार्यग्रहण (Duty Joining) स्वीकार किया जावेगा तथा इनकी सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।



 (आनन्द स्वरूप) 30/09/2020
 निदेशक
 राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
 राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ1(ए)49/पार्ट-6/संस्था/बीमा/2020/ 8050-8100

दिनांक : 30-09-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक: प.1(2)प्र0सु0/अनु-3/2020 जयपुर, दिनांक 18.06.2020 के क्रम में।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव(व्यय), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को सूचनार्थ।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7. सम्बन्धित वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, मुख्यालय /संभाग/ जिला कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, को निर्देशित किया जाता है कि दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 16 की पालना सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सम्पादित की जावें। आप अभ्यर्थी से उक्त प्रमाण पत्र मूल रूप में जांच करते हुए दस्तावाजों की सत्य प्रतिलिपियां (Certified/self Attested Documents) प्राप्त करते हुए नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करें।
8. संयुक्त निदेशक (संस्थापन)/एपीएआर सैल, मुख्यालय, जयपुर।
9. सम्बन्धित चयनित कार्मिक।
10. वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/केडर स्ट्रेंथ लिपिक
11. सेवा पुस्तिका लिपिक संबंधित कार्यालय, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग राजस्थान।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/सिस्टम एनालिस्ट।


 संयुक्त निदेशक(संस्थापन)
 राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
 राजस्थान, जयपुर।